>

Title: Alleged functioning of hoax courts in various parts of the country.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं।

महोदया, सोमवार को एक राष्ट्रीय रसाले में एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि भारत के एक बड़े शहर में फर्जी अदालतें चल रही हैं। ये जो फर्जी कचहरियां हैं, आरबिट्रल ट्राइब्यूनल, ऑल इण्डिया ओवरसीज़ आरबिट्रेशन कमेटी, ए.डी.आर. फोरम जैसे नामों से जानी जाती है। खबर में यह लिखा हुआ है कि ये सभी फर्जी कचहरियां हैं, ये मुकदमें सुनती हैं, गवाहों को तलब करती हैं, फैसले सुनाती हैं और उन फैसलों का क्रियान्वयन अपने गुण्डों द्वारा करवाती है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है कि यदि इस मुल्क में समानान्तर कानून प्रक्रिया चलेगी तो यह बहुत बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए बनेगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि यह खबर एक राष्ट्रीय रसाले में आयी थी, इसके ऊपर गौर किया जाए और यदि यह बात सही है तो इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाएं जाएं, जिससे यह जो फर्जी कचहरियां, ये बंद हो सकें।